

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग। वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

सेवा में.

पत्रांक :

377

दिनांक : 28.02.2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

-सह-

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, रांची।

विषय :--

चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0

वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग—

भवदीय ज्ञापांक ९४५ दिनांक २१.१०.२०२४

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विषयक परियोजना चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024 द्वारा 09 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। इन पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 125 दिनांक 20.02.2025 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 317 दिनांक 15.02.2025 एवं 2470 दिनांक 21.12.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बिन्दुवार अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :—

क0सं	पृच्छा	अनुपालन की स्थिति
I	The total area proposed for diversion mentioned in online part-I and part-II is 64.0849ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & cf AS 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत पथ निर्माण हेतु डी०पी०आर० को भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है। तद्नुसार ०४ हे० वनभूमि जहाँ गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई है, को स्वीकृति के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण समय रहते डी०पी०आर० को संशोधित करने एवं प्रस्तावित गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ को गैर वनभूमि पर स्थानान्तरित करने का प्रयास करेगी।
Π	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	पृच्छा सं0 II एवं III के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि के न्यूनतम उपयोग के लिए दो वैकल्पिक संरेखणों को
III	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches involved leaving few	दर्शाया गया है जिसमें प्रस्तावित संरखण 1 एवं 2 घाटी वाले हिस्से से होकर गुजरता है इसलिए तकनीकी रूप से संरेखण 1 एवं 2 के साथ बाईपास का निर्माण करना संभव नहीं है। इसके आलावा

Chatra Baypass Road Construction 64.0849 ha. dt-27-02-2025

<i>)</i> सं	<u>पृच्छा</u>	अनुपालन की स्थिति		
1	fragmental part discrete, isolated and impractical	कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की		
1	to manage like forest in the vicinity of a	गई है जहाँ संरेखण 1 एवं 2 गुजरता है।		
	sprawling urban area. Therefore the alignment	3-131 3-17 3-12 3-1311 6-1		
A	must be shifted to save fragmentation and loss of			
	forest thereafter.			
IV	Comments from State Forest Department, Nodal	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी,		
	Office (FC) and concerned DFO regarding actual	चतरा दक्षिणी वन पमंडल द्वारा विषयगत परियोजना		
	tree felling for the project have not been	में प्रभावित वृक्षों का विस्तृत प्रतिवेदन Form-A Part-		
	submitted. Details in this regard may be	II की Para-4(ii) में अंकित किया गया है।		
	uploaded.			
	d d			
	2 7 1	Additional information details में अपलोड कर		
XI	Cost Donost analysis is not as a 1	दिया गया है।		
V	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी,		
	rectified.	चत्रा दक्षिंणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि		
	II I g	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit		
	1 1 1 2 a	analysis Part-I की Para G(i)(a) में अपलोड कर		
		दिया गया है।		
VI	Undertaking/ Comments of User Agency	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी,		
	regarding the implementation of Wildlife	चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि		
	Management Plan, Soil Conservation Measures.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Wildlife Management		
		Plan, Soil Conservation Measures Form-A Part-I		
		के Additional information details में अपलोड कर		
X		दिया गया है। साथ ही Undertaking की प्रति		
		अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न है।		
VII	The details (PF & JJ LAND) of kml and Geo-	उक्त पृच्छा का अनुपालन कर लिया गया है।		
	referenced pdf map are mismatched. Therefore, it	6		
	needs to be corrected.			
VIII	CA needs to be proposed on equivalent Non	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी,		
	Forest Land instead of Degraded Forest Land.	चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि		
	Accordingly, kml file of revised CA area and all	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन		
	related documents needs to be uploaded on	मंत्रालय के दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्राप्त दिषा		
	portal.	निर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वनरापण हेतु दुगुने		
		वनभूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।		
IX	Encroachment, both agricultural & residential,	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी,		
	has been observed at place in the proposed forest.	चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि		
	an proposed forest.			
		इस प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि		
		को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया		
		गया। तदोपरान्त अतिक्रमण के रूप में दिखाई देने		
		वाले कुछ भाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के		
		तहत दिये गये वन पट्टे है। इसके अतिरिक्त वनभूमि		
		पर किये गये शेष अतिक्रमणों को उचित कानूनी		
		कार्रवाई के साथ हटा दिया जायेगा		
		(अनुलग्नक—1)।		
	प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियां दस प्रत्य के साथ संत्यान भेजने हुए अनुस्थि			

प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अन्0—यथोक्त।

1

आपका विश्वासी,

ह0 / – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग। ज्ञापांक : 377

दिनांक : 28.02.2025

प्रतिलिपि:— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चत्रा / वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से अनुरोध है कि अतिक्रमित वनभूमि को यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय मुख्ये वस् संरक्षक,